भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *294
12 मार्च, 2026 को उत्तर देने के लिए

शीतागार और प्रशीतित परिवहन सुविधाएं

†*294. श्री अरुण नेहरूः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या शीतागार और प्रशीतित परिवहन संबंधी सुविधाओं के अत्यधिक अभाव के परिणामस्वरूप पेरम्बलुर के प्याज, मक्का और जल्द खराब होने वाले अन्य उत्पादों का सालाना करोड़ों रुपये का नुकसान हो जाता है जिससे छोटे और सीमांत किसानों को अपने उत्पादों को औने-पौने दाम पर बेचना पड़ता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पात्रता मानदंड पूरा करने के बावजूद पेरम्बलुर के उद्यमियों और किसान उत्पादक संगठनों द्वारा शीत-श्रृंखला संबंधी परियोजनाओं और उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना के आवेदनों की मंजूरी और वित्तपोषण में अत्यधिक देरी के विशिष्ट कारण क्या हैं,

(ग) तकनीकी-आर्थिक मंजूरी, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुमोदन और धनराशि जारी करने की समय-सीमा सहित शीत-श्रृंखला संबंधी सभी लंबित प्रस्तावों की परियोजना-वार वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) पेरम्बलुर में फसल कटाई के बाद के नुकसान को रोकने और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु ठोस वित्तपोषण प्रतिबद्धता, नोडल एजेंसी की जिम्मेदारियों और परियोजना शुरू करने की निश्चित समय-सीमा का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

दिनांक 12.03.2026 को उत्तर के लिए "शीतागार और प्रशीतित परिवहन सुविधाएं" के संबंध में लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *294 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) प्राथमिक सर्वेक्षणों के आधार पर अध्ययन करके देश में विभिन्न कृषि उत्पादों के लिए समय-समय पर फसलोत्तर हानि का अनुमान लगाता है। मंत्रालय द्वारा (i) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) - केंद्रीय फसल कटाई इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (सीफेट), 2015 संदर्भ वर्ष 2012-14 के साथ और (ii) नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विस प्रा. लिमिटेड (नेबकोंस), 2022 संदर्भ वर्ष 2020-22 के साथ दो अध्ययन शुरू किए गए थे। नेब्कोंस द्वारा किए गए पिछले अध्ययन के अनुसार, तमिलनाडु राज्य में फसल-वार समग्र कटाई के बाद नुकसान का अनुमान निम्नानुसार है:

तमिलनाडु	
उत्पाद	समग्र कुल हानि (%)
केला	7.47
बीन्स	7.82
काला चना	5.93
अंडा	6.6
मूंगफली	5.31
मक्का	4.39
समुद्री मछली	9.14
मांस	3.04
मशरूम	11.03
धान	5.98
पोल्ट्री मांस	6.08
ज्वार	6.29
गन्ना	8.65

शीत श्रृंखला अवसंरचना में अंतर को दूर करने और फसलोत्तर हानि को कम करने के लिए, भारत सरकार कई योजनाओं को कार्यान्वित्त कर रही है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देशभर में केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना - प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) को कार्यान्वित्त कर रहा है। इसकी घटक योजनाओं, अर्थात् (i) एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य वर्धन अवसंरचना (शीत श्रृंखला योजना), (ii) कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना सृजन (एपीसी योजना), और (iii) ऑपरेशन ग्रीन्स (ओजी) - दीर्घकालिक अन्तःक्षेप के अंतर्गत, एकीकृत खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसमें अनुमोदित परियोजनाओं के घटकों के रूप में शीत भंडारण सुविधाएं और प्रशीतित परिवहन (रीफर वाहन / इंसुलेटेड वैन) शामिल हो सकते हैं।

दिनांक 31.12.2025 तक, पीएमकेएसवाई के अंतर्गत, लगभग 51.85 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष की परिरक्षण क्षमता वाली 690 शीत भंडारण सुविधाएं सृजित की गई हैं और 422 पूर्ण खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं के अंतर्गत 1,768 रीफर वाहनों को सहायता प्रदान की गई है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा कार्यान्वित बागवानी के एकीकृत विकास मिशन (एमआईडीएच) और शीत भंडारणों और नियंत्रित वातावरण भंडारणों के निर्माण विस्तार आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी जैसी योजनाओं के माध्यम से फसल कटाई के बाद और शीत भंडारण बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करता है। ये पहल पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज, राइपनिंग चैंबर, रीफर परिवहन और नियंत्रित वातावरण (सीए) भंडारण सुविधाओं सहित फसल कटाई के बाद अवसंरचना सृजन और आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। दिनांक 31.01.2025 तक, देशभर में 397.08 एलएमटी क्षमता वाली 8760 शीत भंडारण सुविधाएं सृजित की गई हैं। इसका विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख): अब तक, तमिलनाडु के पेरम्बलुर जिले में स्थित उद्यमियों या किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) या प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) की शीत शृंखला घटक योजना के अंतर्गत अनुमोदन के लिए कोई आवेदन लंबित नहीं है।

(ग): इस मंत्रालय द्वारा शीत श्रृंखला योजना के अंतर्गत दिनांक 27.05.2025 को देश भर की पात्र संस्थाओं से आवेदन / प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी की गई थी। उपर्युक्त ईओआई के लिए अंतिम तिथि यानी 08.08.2025 तक कुल 60 कोल्ड चेन प्रस्ताव प्राप्त हुए। प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन वर्तमान शीत श्रृंखला योजना दिशानिर्देशों दिनांक 22.05.2025 के अनुसार किया जा रहा है।

(घ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वयं खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाएं स्थापित नहीं करता है; बल्कि, यह अपनी योजनाओं के अंतर्गत पात्र संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके स्थापना की सुविधा और सहायता करता है। पीएमकेएसवाई की घटक योजनाएं मांग आधारित हैं और संबंधित घटक योजनाओं के अंतर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर ईओआई जारी करके प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। इसके अलावा, इन घटक योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार / जिला-वार निधि का कोई आवंटन नहीं किया गया है। तमिलनाडु के पेरम्बलुर जिले सहित देश भर के किसानों सहित कोई भी पात्र इकाई सामान्य क्षेत्रों से परियोजनाओं के मामले में परियोजना लागत का 35 प्रतिशत और कठिन क्षेत्रों से परियोजनाओं के साथ-साथ अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, एफपीओ और एसएचजी के लिए परियोजनाओं के मामले में 50 प्रतिशत की दर से अनुदान सहायता / सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती है जो कोल्ड स्टोरेज अवसंरचना और रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट सुविधाओं के साथ खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की स्थापना के लिए कोल्ड चेन योजना / कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (एपीसी) योजना के मामले में अधिकतम 10.00 करोड़ रुपये और स्टैंडअलोन परियोजनाओं के मामले में 10.00 करोड़ रुपये तथा ऑपरेशन ग्रीन्स (ओजी) योजना के अंतर्गत एकीकृत परियोजनाओं के मामले में 15.00 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन है।

अनुबंध

दिनांक 12 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए "शीत भंडारण और प्रशीतित परिवहन सुविधाएं" के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *294 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

देश में दिनांक 31.01.2025 तक सृजित राज्य-वार शीत भंडारण सुविधाएँ:

क्र.स.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	परियोजना की संख्या	सृजित कोल्ड स्टोरेज (क्षमता एमटी में)
1	अंडमान और निकोबार (यूटी)	4	2210
2	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	480	1996340
3	अरुणाचल प्रदेश	2	6000
4	असम	43	206742
5	बिहार	316	1490200
6	चंडीगढ़	7	12462
7	छत्तीसगढ	130	577663
8	दिल्ली	97	129857
9	गोवा	29	7705
10	गुजरात	1023	4042770
11	हरियाणा	386	870703
12	हिमाचल प्रदेश	89	181318
13	जम्मू और कश्मीर	92	151833
14	झारखंड	59	242655
15	कर्नाटक	268	912417
16	केरल	202	96655
17	लक्षद्वीप	1	15
18	मध्य प्रदेश	320	1381827
19	महाराष्ट्र	665	1219851
20	मणिपुर	2	4500
21	मेघालय	4	8200
22	मिजोरम	3	4071
23	नागालैंड	5	8150
24	उड़ीसा	182	579321
25	पुदुचेरी	4	185
26	पंजाब	770	2604206
27	राजस्थान	190	648908
28	सिक्किम	2	2100
29	तमिलनाडु	188	399690
30	तेलंगाना	116	617131
31	त्रिपुरा	14	46354
31	उत्तर प्रदेश	2488	15096476
32	उत्तराखंड	62	206848
33	पश्चिम बंगाल	517	5952997
	कुल	**8760**	**39708360**

(स्रोत: विपणन और निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई) 2009 तक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), उत्तर पूर्व और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एचएमएनईएच)) और एमओएफपीआई)